कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 354/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 09.09.2026

प्रेस नोट, दिनांक–09.09.2026
यातायात पुलिस, जनपद आजमगढ़

☐ 12 सितम्बर की राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर यातायात पुलिस ने चलाया विशेष जागरूकता अभियान

☐ लाउडस्पीकर, बैनर एवं पम्पलेट के माध्यम से आमजन को यातायात चालान सहित विभिन्न मामलों के निस्तारण की दी जानकारी

दिनांक 12.09.2026 (शनिवार) को जनपद न्यायालय आजमगढ़ में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जन-जागरूकता हेतु आज दिनांक 09.09.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में न्याय विभाग आजमगढ़ एवं यातायात पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया।

➡☐ अभियान के दौरान गिरिजाघर चौराहा सहित शहर के विभिन्न प्रमुख एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लाउडस्पीकर, बैनर एवं पम्पलेट के माध्यम से आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभों की जानकारी दी गई।

☐ आमजन को बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात चालान, शमनीय आपराधिक वाद, चेक बाउंस (धारा 138 NI Act), बैंक रिकवरी एवं वैवाहिक विवाद सहित विभिन्न मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है।

☐ यातायात पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई कि वे 12 सितम्बर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का सरल एवं त्वरित निस्तारण कराएं।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 09.09.2026
थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित वांछित आरोपी गिरफ्तार

गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में लंबे समय से चल रहा था वांछित, गिरफ्तारी के बाद न्यायालय भेजा गया।

घटना का विवरण-
मु0अ0सं0 225/2026 धारा 2(बी)(1) व 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ से संबंधित नामित आरोपी **सलटू राम पुत्र रामचरन राम**, निवासी ग्राम नसरूद्दीनपुर, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 65 वर्ष, वर्तमान पता काशीराम आवास जाफरपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, वांछित चल रहा था। उक्त आरोपी की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा **25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित** किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-
दिनांक **09.09.2026** को प्रभारी निरीक्षक **विनय कुमार सिंह** मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 25 हजार रुपये के पुरस्कार घोषित वांछित आरोपी **सलटू राम** को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार आरोपी द्वारा जुर्म से इनकार करते हुए अपनी सफाई अधिवक्ता के माध्यम से मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करने की बात बतायी गयी।

गिरफ्तार आरोपी का नाम व पता
सलटू राम पुत्र रामचरन राम, निवासी ग्राम नसरूद्दीनपुर, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़, वर्तमान पता काशीराम आवास जाफरपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 65 वर्ष।

आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
प्रभारी निरीक्षक श्री विनय कुमार सिंह, का0 सन्नी कुमार सिंह, का0 हिमांशु सिंह बघेल, म0का0 पूजा यादव, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति,दिनांक–09.09.2026
थाना–सिधारी, जनपद आजमगढ़

□ थाना सिधारी पुलिस द्वारा 04 माह से अधिक समय से फरार ₹25,000/- के पुरस्कार घोषित वांछित आरोपी गिरफ्तार

टेम्पो में सवारी बनकर महिलाओं के बैग/झोले की चैन काटकर जेवरात व कीमती सामान चोरी करने वाले संगठित गिरोह का था सदस्य

□ गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में था वांछित, गिरफ्तारी हेतु SSP आजमगढ़ द्वारा ₹25,000/- का इनाम किया गया था घोषित

थाना जीयनपुर पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 225/2026 धारा 2(बी)(1)/3(1) उ0प्रगिरोहबन्द एवं समाज विरोधी . अधिनियम (निवारण) क्रियाकलाप, 1986** से संबंधित आरोपी **सलटू राम पुत्र रामचरन राम**, निवासी ग्राम नसरूद्दीनपुर, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़, वर्तमान पता काशीराम आवास जाफरपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 65 वर्ष, वांछित चल रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा **₹25,000/- का पुरस्कार घोषित** किया गया था।

पूर्व की घटनाएं/ इतिहास–

1. दिनांक 23.06.2024 को भवरनाथ से दोहरीघाट जा रही अम्बालिका राय पत्नी विनयानन्द राय, निवासी फरसरा खुर्द, जनपद मऊ द्वारा थाना जीयनपुर पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि टेम्पो से यात्रा के दौरान उनका बैग चोरी हो गया, जिसमें सोने के जेवरात रखे थे। इस संबंध में थाना जीयनपुर पर **मु0अ0सं0 296/2024 धारा 379 भादवि** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी सलटू राम सहित अन्य की संलिप्तता प्रकाश में आने पर **धारा 411 भादवि** की बढ़ोत्तरी की गई तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

2. दिनांक 07.10.2024 को हाफिजपुर चौराहे से जीयनपुर जा रही रीमा यादव पुत्री रामविलास यादव, निवासी ग्राम खतिरपुर, पोस्ट सगड़ी, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा टेम्पो में यात्रा के दौरान उनके झोले की चैन काटकर जेवरात चोरी किए जाने के संबंध में थाना जीयनपुर पर **मु0अ0सं0 476/2024 धारा 303(2) बीएनएस** बनाम दो अज्ञात महिलाएं पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान आरोपी सलटू राम सहित अन्य की संलिप्तता प्रकाश में आने पर **धारा 317(2) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गई तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

उक्त आपराधिक गतिविधियों के आधार पर आरोपी सलटू राम सहित अन्य के विरुद्ध **उ0प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986** के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित एवं पुरस्कार घोषित अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु चलायें जा रहे अभियान के तहत ***₹25,000/- का पुरस्कार* घोषित** किया गया था। आज दिनांक **09.09.2026** को प्रभारी निरीक्षक **श्री विनय कुमार सिंह** मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए **पहलवान तिराहा के पास से समय करीब 10:30 बजे** 04 माह से अधिक समय से फरार चल रहे पुरस्कार घोषित वांछित आरोपी **सलटू राम** को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए **मा0 न्यायालय रवाना** किया गया।

अपराध करने का तरीका–

गैंग चार्ट एवं पूर्व में प्रकाश में आए अभियोगों के अनुसार आरोपी सलटू राम अपने साथियों के साथ मिलकर **आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए संगठित रूप से चोरी की घटनाएं करता था।** गिरोह के सदस्य टेम्पो एवं अन्य सवारी

वाहनों में सामान्य यात्री बनकर बैठते थे। इनके द्वारा विशेष रूप से महिलाओं को निशाना बनाया जाता था। यात्रा के दौरान मौका पाकर **महिलाओं के बैग/झोले की चैन काटकर उसमें रखे सोने-चांदी के जेवरात, नगदी एवं अन्य कीमती सामान चोरी** कर लिया जाता था। घटना के बाद चोरी किए गए सामान को आपस में बांट लिया जाता था अथवा जेवरात को बेचकर प्राप्त धनराशि का बंटवारा किया जाता था।

गिरफ्तार आरोपी का नाम व पता–

सलटू राम पुत्र रामचरन राम, निवासी ग्राम नसरूद्दीनपुर, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़, वर्तमान पता काशीराम आवास जाफरपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 65 वर्ष।

आपराधिक इतिहास–

1. **मु0अ0सं0 296/2024**, धारा 379/411 भादवि, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
2. **मु0अ0सं0 476/2024**, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
3. **मु0अ0सं0 225/2026**, धारा 2(बी)(1)/3(1) उ0प्र. गैंगस्टर्स एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विनय कुमार सिंह, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।
2. का0 सन्नी कुमार सिंह, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।
3. का0 हिमांशु सिंह बघेल, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।
4. म0का0 पूजा यादव, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

आजमगढ़ पुलिस द्वारा पुरस्कार घोषित, वांछित एवं संगठित अपराध में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

प्रेस नोट, दिनांक–09.09.2026

थाना–देवगांव, जनपद–आजमगढ़

☐ न्यायालय के आदेश पर देवगांव पुलिस ने फरार अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की की उद्घोषणा की

☐ अभियुक्तों के मकान को पड़ोसी को बेचकर मुंबई चले जाने की मिली जानकारी

☐ मुनादी कराकर उद्घोषणा पत्र बिजली के पोल पर चस्पा कर किया गया प्रचार-प्रसार

कृत कार्यवाही का विवरण-

आज दिनांक 09.09.2026 को माननीय ग्राम न्यायालय में दायर मु0नं0 976/2024 से संबंधित अभियुक्तगण जितेन्द्र, विरेन्द्र पुत्रगण श्यामलाल एवं सुगन्ता पुत्री श्यामलाल, निवासी कल्याणपुर मानिकपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी NBW/धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत कुर्की हेतु उद्घोषणा के अनुपालन में थाना देवगांव पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई।

मौके पर स्थानीय गवाहों से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण अपना दो कमरों का मकान पड़ोसी को बेचकर मुंबई चले गए हैं। पुलिस टीम द्वारा समक्ष गवाहान उद्घोषणा पत्र को बिजली के पोल पर चस्पा किया गया तथा मुनादी कराकर उद्घोषणा पढ़कर सुनाई गई।

कुर्की उद्घोषणा करने वाली पुलिस टीम:-

1. श्री सुनील कुमार सिंह, थानाध्यक्ष देवगांव
2. उ0नि0 पंकज कुमार सिंह
3. उ0नि0 राकेश कुमार सिंह
4. क0 आर्यन
5. का0 शशांक
6. म0आ0 सुनीता

थाना–देवगांव, जनपद आजमगढ़